**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 928**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों का मानकीकरण**

**928.** **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:**

**श्रीमती कनक लता सिंह:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकरीबन 86 फीसदी ग्रामीण व 82 फीसदी शहरी आबादी के पास इलाज में किसी सरकारी या निजी योजना का सहारा नहीं है, जिससे इलाज के दौरान निजी अस्पताल इनसे ज्यादा दरों पर शुल्क वसूलते हैं जैसाकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का समाधन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग): क्या मंत्रालय, निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं द्वारा इलाज और जांच में जिस प्रकार सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए दर तय की जाती है, वैसी दर आम जनता हेतु भी तय करेगा या कोई मानक बनाएगा?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क): विभाग ने सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी के सीमित कवरेज संबंधी राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट को देख लिया है।

(ख): जन स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है। नागरिकों को वहनीय स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या सुविधा उपलब्‍ध कराने की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍यों को जन स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली, अवसंरचना हेतु सहायता सहित, मानव संसाधन, औषधि, उपकरणों आदि के लिए उनके द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्‍वयन योजनाओं के माध्‍यम से प्रस्‍तावित अपेक्षाओं के आधार पर वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केन्‍द्रों पर “आउट ऑफ पॉकेट व्‍यय” में कमी लाने के मकसद से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के विस्‍तार, मुफ्त आपातकालीन रेफरल सेवाएं और एनएचएम-मुफ्त औषध सेवा पहल तथा एनएचएम-मुफ्त निदान सेवा पहल की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 30,000/- रुपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कवरेज सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग): चूंकि स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है, इसलिए प्रस्‍ताव विशेषकर राज्‍य स्‍तर पर तैयार किए जाने चाहिए क्‍योंकि नैदानिक प्रतिष्‍ठान (विनियमन और पंजीकरण) अधिनियम, 2010 को अधिकांश राज्‍यों ने अंगीकृत नहीं किया है।

\*\*\*\*\*